REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं.
 153]
 नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

 No. 153]
 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

# भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

# अधिसूचना

मुंबई, 20 मार्च 2018

# सं. फेमा. 389/2018–आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन) विनियमावली, 2018

सा.का.नि. 244(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (42 of 1999) की धारा 47 के साथ पठित धारा (6) की उप-धारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक एतदद्वारा भारतीय कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों के बीच विलयन, समामेलन, तथा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित विनियमावली निर्मित करता है: अर्थात्:-

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (सीमापारीय विलयन) विनियमावली, 2018 कहलाएँगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

# 2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) "अधिनियम" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

1617 GI/2018

(ii) 'कंपनी अधिनियम' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 से है;

(iii) 'सीमापारीय विलयन' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के अनुसार किसी भारतीय कंपनी तथा किसी विदेशी कंपनी के बीच किसी प्रकार के विलयन, समामेलन अथवा की गई किसी व्यवस्था से है;

(iv) 'विदेशी कंपनी" का तात्पर्य भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी अथवा कॉर्पोरेट बॉडी से है, भले ही उसका भारत में कारोबारी स्थान हो अथवा न हों।

स्पष्टीकरण: निर्गामी विलयनों के प्रयोजन से विदेशी कंपनी को कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के अनुबंध-बी में विनिर्दिष्ट अधिकारक्षेत्र में निगमित होना चाहिए।

(v) "अंतर्गामी विलयन" का तात्पर्य ऐसे सीमापारीय विलयन से है जहां परिणामी कंपनी (रिजल्टण्ट कंपनी) एक भारतीय कंपनी हो।

(vi) "भारतीय कंपनी" का तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अंतर्गत निगमित की गई हो।

(vii) "एन.सी.एल.टी." का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यथा-परिभाषित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (नेशनल कंपनी लॉं ट्रीब्यूनल) से है।

(viii) "निर्गामी विलयन" का तात्पर्य ऐसे सीमापारीय विलयन से है, जहां रिजल्टण्ट कंपनी कोई विदेशी कंपनी हो।

(ix) "रिजल्टण्ट कंपनी" का तात्पर्य किसी ऐसी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी से है, जो सीमापारीय विलयन में सम्मिलित कंपनियों की आस्तियां तथा देयताएँ ले लेती है।

(x) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः वही होंगे जो कि उन्हें अधिनियम में दिये गए हैं।

3. अधिनियम में अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों में किए गए प्रावधानों अथवा रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति को छोड़कर, अन्य किसी भी तरीके से भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति सीमापारीय विलयन के कारण भारत के बाहर किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा ऋण अथवा आस्ति का अर्जन अथवा अंतरण नहीं करेगा तथा भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति सीमापारीय विलयन के कारण भारत में कोई भी प्रतिभूति अथवा ऋण अथवा आस्ति का अर्जन अथवा अंतरण नहीं करेगा।

*स्पष्टीकरण :* इन विनियमों के लागू होने की तारीख को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित सीमापारीय विलयनों संबंधी मामले इन विनियमों के तहत अधिशासित होंगे ।

# 4. अंतर्गामी विलयन

अंतर्गामी विलयन में,

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 में यथा-विनिर्दिष्ट मूल्य-निर्धारण दिशानिर्देश, प्रवेश मार्ग, क्षेत्र-आधारित सीमाएं, अनुवर्ती दिशा-निर्देश तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ आदि के अधीन रहते हुए रिजल्टण्ट कंपनी भारत के निवासी अथवा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को कोई प्रतिभूति और/अथवा कोई विदेशी प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, जारी अथवा अंतरित कर सकती है।

## बशर्ते कि

- (i) जहां विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का संयुक्त उद्यम (JV) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) हो, वहाँ भारतीय पार्टी द्वारा ऐसे संयुक्त उद्यम (JV) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के शेयरों के अंतरण के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों क अनुपालन किया जाए।
- (ii) जहां अंतर्गामी विलयन के परिणामस्वरूप किसी का यदि संयुक्त उद्यम (JV) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) द्वारा भारतीय पार्टी के किसी का संयुक्त उद्यम (JV) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) की उप-अनुषंगी सहायक कंपनी (स्टेप-डाउन सब्सिडिअरी) का अधिग्रहण हो रहा हो, तो ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के तहत अधिग्रहण संबंधी विनियम 6 एवं 7 का अनुपालन किया जाए।

(2) सीमापारीय विलयन की योजना की स्वीकृति के अनुसार विदेशी कंपनी के भारत के बाहर के कार्यालय को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2015 के अनुसार रिजल्टण्ट कंपनी की भारत के बाहर की शाखा/ कार्यालय माना जाएगा। तदनुसार रिजल्टण्ट कंपनी ऐसा कोई भी लेन-देन कर सकती है जिसे उपर्युक्त विनियमावली के अंतर्गत शाखा/ कार्यालय को करने की अनुमति हो।

(3) विदेशी कंपनी द्वारा समुद्रपरीय स्रोतों से कोई गारंटी, अथवा उधार अथवा भावी उधार जो रिजल्टण्ट कंपनी का उधार बनेगा अथवा समुद्र-पारीय स्रोतों से जुटाया गया कोई उधार, जिसकी प्रविष्टि रिजल्टण्ट कंपनी की खाता-बहियों में की जाएगी उसे दो वर्षों की अवधि के भीतर यथा लागू बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मानदंडों अथवा व्यापार ऋण मानदंड अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत निर्धारित किसी अन्य विदेशी उधार मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि दो वर्षों की ऐसी अवधि के भीतर ऐसी किसी देयता की चुकौती के लिए भारत से कोई प्रेषण नहीं किया जाए।

बशर्ते यह भी कि अंतिम उपयोग (एंड यूज़) से संबंधित शर्तें लागू नहीं होंगी।

(4) रिजल्टण्ट कंपनी भारत के बाहर एसी किसी आस्ति का अर्जन अथवा धारण कर सकती है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों के तहत किसी भारतीय कंपनी को अर्जित करने की अनुमति है। ऐसी आस्तियों को अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा विनियम के अंतर्गत अनुमत लेन-देन करने के लिए किसी भी प्रकार से अंतरित किया जा सकता है।

(5) जहां अधिनियम, नियम अथवा विनियमों के अंतर्गत रिजल्टण्ट कंपनी को भारत के बाहर की आस्ति अथवा प्रतिभूति को अर्जित अथवा धारित करने की अनुमति नहीं है, वहाँ रिजल्टण्ट कंपनी एन.सी.एल.टी. द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी आस्ति अथवा प्रतिभूति को बेच देगी और बिक्रीगत आय को बैंकिंग चैनल के माध्यम से तत्काल भारत में प्रत्यावर्तित किया जाएगा। जहां रिजल्टण्ट कंपनी को भारत के बाहर की कोई देयता धारित करने की अनुमति नहीं है, वहाँ दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी समुद्रपारीय आस्तियों की बिक्रीगत आय में से उन देयताओं को समाप्त किया जाए। (6) एन.सी.एल.टी. द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान करने की तारीख से दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए रिजल्टण्ट कंपनी सीमा-पारीय विलयन से संबंधित लेन-देन करने के प्रयोजन से समुद्रपारीय अधिकारक्षेत्र में विदेशी मुद्रा बैंक खाता खोल सकती है ।

# 5. निर्गामी (आउट-बाउंड) विलयन :

किसी निर्गामी विलयन में:

- (1) भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के अनुसार रिजल्टण्ट कंपनी की प्रतिभूतियाँ अर्जित अथवा धारित कर सकता है।
- (2) निवासी व्यक्ति भारत के बाहर की प्रतिभूतियाँ अर्जित कर सकता है बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य अधिनियम अथवा उसके तहत निर्मित नियमों अथवा विनियमों में उल्लिखित उदारीकृत विप्रेषण योजना के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर हो।
- (3) सीमापारीय विलयन योजना की स्वीकृति के अनुसार भारतीय कंपनी के भारत में स्थित कार्यालय को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा कारोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 के अनुसार रिजल्टण्ट कंपनी का भारत में शाखा कार्यालय समझा जाएगा। तदनुसार रिजल्टण्ट कंपनी उक्त विनियमावली के अंतर्गत शाखा कार्यालय के लिए अनुमत कोई भी लेन- देन कर सकती है।
- (4) भारतीय कंपनी की गारंटियाँ अथवा बकाया उधार, जो रिजल्टण्ट कंपनी की देयताएं बन जाती हैं, को कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के तहत एन.सी.एल.टी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार चुकाया/ लौटाया जाएगा।

बशर्ते कि रिजल्टण्ट कंपनी किसी भारतीय उधरदाता के प्रति रुपये में देय ऐसी कोई भी देयता अर्जित नहीं करेगी जो कि अधिनियम, अथवा उसके अंतर्गत जारी नियमों अथवा विनियमों के अनुरूप नहीं हैं।

बशर्ते यह भी कि भारतीय कंपनी के भारत में स्थित उधारदाताओं से इस आशय का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए।

- (5) रिजल्टण्ट कंपनी, भारत में ऐसी कोई आस्ति अर्जित अथवा धारित कर सकती है, जिन्हें अर्जित करने के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी कंपनी को अनुमति दी गई है। ऐसी आस्तियों को अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमावली के अंतर्गत अनुमत लेन-देन करने के लिए किसी भी प्रकार से अंतरित किया जा सकता है।
- (6) जहां अधिनियम, नियम अथवा विनियमावली के अंतर्गत भारत में आस्ति अथवा प्रतिभूति को अर्जित अथवा धारित नहीं किया जा सकता है, वहाँ रिजल्टण्ट कंपनी एन.सी.एल.टी. द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी आस्ति अथवा प्रतिभूति को बेच देगी और बिक्रीगत आय को बैंकिंग चैनल के माध्यम से तत्काल भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करेगी। दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी आस्तियों अथवा प्रतिभूतियों की बिक्रीगत आय से भारतीय देयताओं की चुकौती अनुमत है।
- (7) इन विनियमों के अंतर्गत लेन-देन करने के प्रयोजन से रिजल्टण्ट कंपनी विदिशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसरण में भारत में अनिवासी रुपया खाता (SNRR Account) खोल सकती है। उक्त खाता एन.सी.एल.टी. द्वारा योजना की स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए चलेगा।

# 6. मूल्यांकन

(1)भारतीय कंपनी तथा विदेशी कंपनी का मूल्यांकन कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 25 ए के अनुसार किया जाएगा।

# 7. विविध

(1) भारतीय कंपनी अथवा विदेशी कंपनी के प्रतिभूति धारक को, जैसा भी मामला हो, रिजल्टण्ट कंपनी द्वारा किए जाने वाले मुआवजे का भुगतान एन.सी.एल.टी. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार होगा।

(2) सीमापारीय विलयन में शामिल होने वाली कंपनियों को विनियामी कार्रवाइयाँ, यदि कोई हो, जैसे: अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों के अन-नुपालन, उल्लंघन, नियम-भंग, जैसा भी मामला हो, को विलयन से पहले ही पूरा कर लिया जाए।

# 8. रिपोर्टिंग

(1) रिजल्टण्ट कंपनी तथा/ अथवा सीमापारीय विलयन में शामिल कंपनी (कंपनियों) को रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से, समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट फ़ारमैट में रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी।

# 9.अनुमानित अनुमोदन

- (1) यह मान लिया जाएगा कि इन विनियमों के अंतर्गत सिमापारीय विलयन के परिणामस्वरूप किए गए किसी भी लेन-देन के लिए कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 25-ए के अंतर्गत अपेक्षित किए गए अनुसार रिज़र्व बैक का पूर्व अनुमोदन है।
- (2) कंपनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के अंतर्गत एन.सी.एल.टी. को किए गए आवेदन के साथ संबंधित कंपनी (कंपनियों) के प्रबंध निदेशक/पूर्ण-कालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि इन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

[फा. सं. 1/1/ईएम/2017]

ज्योति कुमार पांडे, मुख्य महाप्रबंधक

## **RESERVE BANK OF INDIA**

## (Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

## **NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th March, 2018

## No. FEMA. 389 /2018-RB

## Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) Regulations, 2018

**G.S.R. 244(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section (6) read with section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations relating to merger, amalgamation and arrangement between Indian companies and foreign companies, namely:

## 1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Cross Border Merger) Regulations, 2018. (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. Definitions

In these Regulations unless the context requires otherwise, -

- (i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (ii) 'Companies Act' means The Companies Act, 2013;
- (iii) 'Cross border merger' means any merger, amalgamation or arrangement between an Indian company and foreign company in accordance with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016 notified under the Companies Act, 2013;
- (iv) 'Foreign company' means any company or body corporate incorporated outside India whether having a place of business in India or not;

*Explanation:* for the purpose of outbound mergers, the foreign company should be incorporated in a jurisdiction specified in Annexure B to Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016;

- (v) 'Inbound merger' means a cross border merger where the resultant company is an Indian company;
- Indian company' means a company incorporated under the Companies Act, 2013 or under any previous company law;
- (vii) 'NCLT' means National Company Law Tribunal as defined under the Companies Act, 2013 or rules framed thereunder;
- (viii) 'Outbound merger' means a cross border merger where the resultant company is a foreign company;
- (ix) 'Resultant company' means an Indian company or a foreign company which takes over the assets and liabilities of the companies involved in the cross border merger;
- (x) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3.** Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations framed thereunder or with the general or special permission of Reserve Bank, no person resident in India shall acquire or transfer any security or debt or asset outside India and no person resident outside India shall acquire or transfer any security or debt or asset in India on account of cross border mergers.

*Explanation*: Cross Border Mergers pending before the competent authority as on date of commencement of these regulations shall be governed by these Regulations.

### 4. Inbound merger

In an inbound merger,

(1) the resultant company may issue or transfer any security and/or a foreign security, as the case may be, to a person resident outside India in accordance with the pricing guidelines, entry routes, sectoral caps, attendant conditions and reporting requirements for foreign investment as laid down in Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017.

#### Provided that

- where the foreign company is a joint venture (JV)/ wholly owned subsidiary (WOS) of the Indian company, it shall comply with the conditions prescribed for transfer of shares of such JV/ WOS by the Indian party as laid down in Foreign Exchange Management (Transfer or issue of any foreign security) Regulations, 2004;
- (ii) where the inbound merger of the JV/WOS results into acquisition of the Step down subsidiary of JV/ WOS of the Indian party by the resultant company, then such acquisition should be in compliance with Regulation 6 and 7 of Foreign Exchange Management (Transfer or issue of any foreign security) Regulations, 2004.
- (2) An office outside India of the foreign company, pursuant to the sanction of the Scheme of cross border merger shall be deemed to be the branch/office outside India of the resultant company in accordance with

the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Account by a person resident in India) Regulations, 2015. Accordingly, the resultant company may undertake any transaction as permitted to a branch/office under the aforesaid Regulations.

(3) The guarantees or outstanding borrowings of the foreign company from overseas sources which become the borrowing of the resultant company or any borrowing from overseas sources entering into the books of resultant company shall conform, within a period of two years, to the External Commercial Borrowing norms or Trade Credit norms or other foreign borrowing norms, as laid down under Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 or Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Rupees) Regulations, 2000 or Foreign Exchange Management (Guarantee) Regulations, 2000, as applicable.

Provided that no remittance for repayment of such liability is made from India within such period of two years;

Provided further that the conditions with respect to end use shall not apply.

- (4) The resultant company may acquire and hold any asset outside India which an Indian company is permitted to acquire under the provisions of the Act, rules or regulations framed thereunder. Such assets can be transferred in any manner for undertaking a transaction permissible under the Act or rules or regulations framed thereunder.
- (5) Where the asset or security outside India is not permitted to be acquired or held by the resultant company under the Act, rules or regulations, the resultant company shall sell such asset or security within a period of two years from the date of sanction of the Scheme by NCLT and the sale proceeds shall be repatriated to India immediately through banking channels. Where any liability outside India is not permitted to be held by the resultant company, the same may be extinguished from the sale proceeds of such overseas assets within the period of two years.
- (6) The resultant company may open a bank account in foreign currency in the overseas jurisdiction for the purpose of putting through transactions incidental to the cross border merger for a maximum period of two years from the date of sanction of the Scheme by NCLT.

#### 5. Outbound merger

In an outbound merger,

- (1) a person resident in India may acquire or hold securities of the resultant company in accordance with the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of any Foreign Security) Regulations, 2004.
- (2) a resident individual may acquire securities outside India provided that the fair market value of such securities is within the limits prescribed under the Liberalized Remittance Scheme laid down in the Act or rules or regulations framed thereunder.
- (3) An office in India of the Indian company, pursuant to sanction of the Scheme of cross border merger, may be deemed to be a branch office in India of the resultant company in accordance with the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016. Accordingly, the resultant company may undertake any transaction as permitted to a branch office under the aforesaid Regulations.
- (4) The guarantees or outstanding borrowings of the Indian company which become the liabilities of the resultant company shall be repaid as per the Scheme sanctioned by the NCLT in terms of the Companies (Compromises, Arrangement or Amalgamation) Rules, 2016.

Provided that the resultant company shall not acquire any liability payable towards a lender in India in Rupees which is not in conformity with the Act or rules or regulations framed thereunder.

Provided further that a no-objection certificate to this effect should be obtained from the lenders in India of the Indian company.

(5) The resultant company may acquire and hold any asset in India which a foreign company is permitted to acquire under the provisions of the Act, rules or regulations framed thereunder. Such assets can be

transferred in any manner for undertaking a transaction permissible under the Act or rules or regulations framed thereunder.

- (6) Where the asset or security in India cannot be acquired or held by the resultant company under the Act, rules or regulations, the resultant company shall sell such asset or security within a period of two years from the date of sanction of the Scheme by NCLT and the sale proceeds shall be repatriated outside India immediately through banking channels. Repayment of Indian liabilities from sale proceeds of such assets or securities within the period of two years shall be permissible.
- (7) The resultant company may open a Special Non-Resident Rupee Account (SNRR Account) in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 for the purpose of putting through transactions under these Regulations. The account shall run for a maximum period of two years from the date of sanction of the Scheme by NCLT.

### 6. Valuation

 The valuation of the Indian company and the foreign company shall be done in accordance with Rule 25A of the Companies (Compromises, Arrangement or Amalgamation) Rules, 2016.

### 7. Miscellaneous

- (1) Compensation by the resultant company, to a holder of a security of the Indian company or the foreign company, as the case may be, may be paid, in accordance with the Scheme sanctioned by the NCLT.
- (2) The companies involved in the cross border merger shall ensure that regulatory actions, if any, prior to merger, with respect to non-compliance, contravention, violation, as the case may be, of the Act or the Rules or the Regulations framed thereunder shall be completed.

#### 8. Reporting

(1) The resultant company and/or the companies involved in the cross border merger shall be required to furnish reports as may be prescribed by the Reserve Bank, in consultation with the Government of India, from time to time.

#### 9. Deemed approval

- Any transaction on account of a cross border merger undertaken in accordance with these Regulations shall be deemed to have prior approval of the Reserve Bank as required under Rule 25A of the Companies (Compromises, Arrangement and Amalgamations) Rules, 2016.
- (2) A certificate from the Managing Director/Whole Time Director and Company Secretary, if available, of the company(ies) concerned ensuring compliance to these Regulations shall be furnished along with the application made to the NCLT under the Companies (Compromises, Arrangement or Amalgamation) Rules, 2016.

[F. No. 1//1/EM/2017]

JYOTI KUMAR PANDEY, Chief General Manager

8